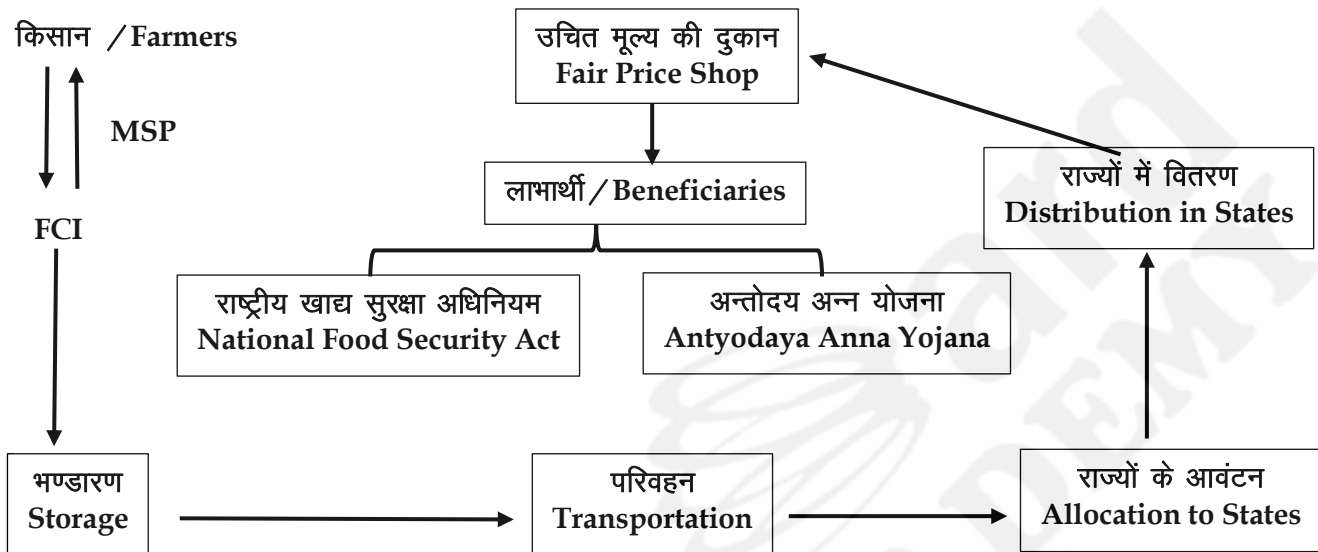


खाद्य प्रबंधन



- भारत में खाद्य प्रबंधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) द्वारा किया जाता है।
- यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से खाद्यान्नों की कमी को प्रबन्धित किया जाता है।
- अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों से खाद्यान्नों को खरीदकर कमी वाले स्थानों पर वितरित किया जाता है।
- इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- इसमें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है।

केन्द्र सरकार जिम्मेदारियाँ

1. MSP की घोषणा
 2. खरीद
 3. भण्डारण
 4. परिवहन
 5. राज्यों को आवंटन
- FCI के द्वारा

राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ

1. राज्य में वितरण
2. उचित मूल्य की दुकानों का नियमन
3. लाभार्थियों की पहचान
4. लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना।

आर्थिक लागत = FCI की कुल लागत (अर्थात भण्डारण, परिवहन और खरीद की लागत)

केन्द्रीय निर्गम मूल्य (CIP) – वह मूल्य जिस पर खाद्यान्न या अनाज को FCI द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है।

अर्थव्यवस्था

जैसे – चावल – 3 Rs- Per Kg-

गेहूँ – 2 Rs- Per Kg-

खाद्य सब्सिडी = आर्थिक लागत केन्द्रीय निर्गम – मूल्य

यह सब्सिडी केन्द्र सरकार के द्वारा FCI को दी जाती है।

PDS के तहत अनाज वितरण –

- गेहूँ
- चावल
- मोटे अनाज
- कुछ राज्य अन्य पदार्थ भी वितरित करते हैं—
- खाद्य तेल
- आयोडीन नमक
- दाल

Note :- राज्य के अन्दर सभी प्रकार के खर्चे राज्य सरकार द्वारा उठाये जाते हैं।

भारत में PDS का विकास—

- 1960 का दशक भोजन की कमी को दूर –करने के लिए छोटे पैमाने पर PDS को शुरू किया गया।
- 1992 – पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई।
- 1997 – लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की –शुरुआत की गई।
- 2013 –राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पारित किया।
- भोजन के अधिकार को 'कानूनी अधिकार' बनाया गया।
- इसके तहत 67% आबादी को कवर किया गया।

ग्रामीण जनसंख्या 75% शहरी जनसंख्या 50%

प्रति व्यक्ति/माह – 5 Kg खाद्यान्न आवंटन

3 Rs/Kg चावल

2 Rs/Kg गेहूँ

1 Rs/Kg अनाज

केन्द्रीय निर्गमन मूल्य (CIP)

- इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को Rs. 6000 मातृत्व लाभ।
- अत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी प्रति परिवार प्रति माह 35 Kg खाद्यान्न।
- बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता।

PDS की महत्वपूर्ण योजना :-

1. एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराइजेशन – 2012
2. PDS प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है जिसे E-PDS कहा जाता है— इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2018 में लॉन्च किया गया।
3. IMPDS (Integrated Management PDS) (PDS का एकीकृत प्रबन्धन)

4. बायो मेट्रिक सत्यापन में आधार नंबर का उपयोग किया जाता है।
5. **वन नेशन वन राशन कार्ड योजना**—इस योजना के तहत पूरे भारत के लिए ही राशन कार्ड जारी किया जाता है जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी लाभ प्राप्त कर सकता है।
 - लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है परन्तु केन्द्र सरकारों के द्वारा लाभार्थियों की केन्द्रीकृत सूची बनाई जाती है।
 - इस योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को हुआ है।
6. MERA RATION APP लॉन्च किया गया।
7. FCI में सुधार के लिए शांता कुमार समिति का गठन किया गया, जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्न हैं—
 - खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की संख्या को कम किया जाना चाहिए।
 - FCI को वैज्ञानिक भण्डारण विधियों का उपयोग करना चाहिए।
 - FCI को केवल न्यूनतम स्टॉक रखना चाहिए और शेष स्टॉक खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए।
 - FCI गोदाम अपर्याप्त होने की स्थिति में निजी गोदामों का उपयोग भी कर सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पाद एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर क्रय करने की गारंटी दी जाती है। जिसे डैच कहा जाता है।

उद्देश्य :-

1. किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना।
2. PDS प्रणाली को संचालित करना।
3. फसल पैटर्न को प्रभावित करना।
(किसी विशेष फसल को प्रोत्साहित व हतोत्साहित किया जा सकता है।)
4. कृषि में निवेश को बढ़ाना जिससे की उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
 - भारत में MSP की गणना एवं अनुशंसा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) द्वारा की जाती है।
 - MSP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा की जाती है।
 - CACP एक कार्यकारी संस्था है।
 - स्थापना — 1965

MSP की गणना— इसके लिए निम्नलिखित —लागत की गणना की जाती है—

- **A2 लागत** — कृषि की सभी आगतों की कुल लागत (बीज, खाद्य, मजदूरी, मशीनरी आदि।)
- **A2 + FL** - A2 लागत में पारिवारिक श्रम की लागत को जोड़ दिया जाता है।
- **C2 - A2 + FL**. स्वयं की भूमि पर चुकाया गया किराया. स्वयं की पूँजीगत वस्तुओं का किराया। (जैसे— टेक्टर)
(MSP सदैव C2 से ज्यादा होती है।)
- **C3 - C2 + प्रबंधकीय लागत (10% of C2)**
- CACP के द्वारा C3 की गणना की जाती है परन्तु MSP से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है।
- 2007 में स्वामीनाथन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि MSP को C2 लागत का 1.5 गुना किया जाना चाहिए।
- 2018 के बजट में सरकार के द्वारा MSP को A2 + FL लागत का 1.5 गुना कर दिया गया।
- अर्थात् स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

- लागत के अतिरिक्त MSP की गणना में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

1. मांग और आपूर्ति
2. घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का ट्रेंड
3. अन्य फसलों की कीमतें
4. उपभोक्ता पर प्रभाव
5. कृषि और गैर कृषि व्यापार की शर्तें

- MSP कुल 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है—

- 7 अनाज
- 7 तिलहन
- 5 दालें
- 4 वाणिज्यिक फसले (गन्ने)

- गन्ने के लिए –FRP (उचित और लाभकारी मूल्य) घोषित किया जाता है।
- गन्ने की खरीद चीनी मील द्वारा की जाती है तथा सब्सिडी भी चीनी मिलों को ही दी जाती है।
- राज्य सरकार केन्द्र द्वारा दिए गए MSP के अलावा अन्य लाभ भी घोषित कर सकती है।